

This is to certify that the information above, provided by the school has been verified on the basis of all supporting documents & certificates and visiting the school and the information has been found correct.*
 (a) is the school recommended for affiliation?
 (Please ensure that the school fulfils land requirements also as per details given in Appendix-IIIA along with point nos. 1-24.)
 (b) if the school is not recommended for affiliation then under what section/ sections -------and what are the short comings, please specify clearly. If required add extra pages.*

 JD_RE
 Remark
 Secondary

DIVISIO	NAL JOINT DIRECTOR SHALL P	UT A TICK MARK AGAINST THE		RT C E SCHOOL IS FULFILING THE LAND CRETERIA
Application No	N0C2310090		Dise Code	23500822123
Name and Address of the school	E COAL INTERNATIONAL SCHOOL	BEHIND DISTRICT COURT WAIDHAN	total land area in lawful possession of school	BuildUpArea(1718) + OpenArea(4682) = 6400

JD Approve

Any Where is India	Minimum 8000 Square meters	No	
In Municipal limits of cities with a population exceeding 15 Lakhs.	Minimum 4000 Square meters	Yes	
In hilly area prescribed by the Planning Commission (NITI Aayog)	Minimum 4000 Square meters	No	
In Municipal limits of the State Capital Cities	Minimum 4000 Square meters	No	
In the North Eastern State.	Minimum 4000 Square meters	No	
In the State of Jammu and Kashmir	Minimum 4000 Square meters	No	Signature valid
In Municipal limits of Ghaziabad. Noida. Faridabad and Gurugram cities	Minimum 4000 Square meters	No	Digitally Signed By SANTOCH XUMAR TRIPATHI (BHOPAL)
In the Municipal limits of panchkula and Mohali/ SAS Nagar	Minimum 4000 Square meters	No	Date : 01-May-2023 114118 IST
in the Municipal limits Class-X cities (Ahmedabad, Bengaluru, Hyderabad, Pune), Or on the Hill Stations, (For Secondary Level)	Minimum 2000 Square meters	No	-
In the Municipal limits Class-X cities (Ahmedabad, Bengaluru, Hyderabad, Pune), Or on the Hill Stations. (For Senior Secondary Level)	Minimum 3000 Square meters	No	
In the Municipal limits of Chennal, Delhi, Kolkata and Mumbal or the state of Arunachal Pradesh. Or the state of Sikkim Or the Islands, (For Secondary Level)	Minimum 1600 Square maters	No	
In the Municipal limits of Chennal. Delhi, Kolkata and Mumbei or the state of Arunachal Pradesh. Or the state of Sikkim Or the Islands. (For Senior Secondary Level)	Minimum 2400 Square meters	No	

वल्लभ भवन, ओपाल-4620.04

क्रमांक-434/734/2020/20-3 भोपाल, दि० ०९ /7/2020 प्रति,

> सचिव सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली।

विषयः- अशासकीय संस्था को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बन्द्रता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र देने वावत।

राज्य शासन एतद् व्दारा अशासकीय संस्था-ई-कोल इंटरनेशनल स्कूल सिंगरौली, जिला-सिंगरौली, म०प्र० को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तो के आधार पर प्रदान किया जाता है:-

 केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल या अन्य बोर्ड से सम्बद्धता मिलने के उपरांत भी मध्यप्रदेश माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं की मान्यता नियम, 2017 में दिये गये प्रावधानों का पालन किया जावेगा।
 (2) विद्यालय प्रबंधन व्यारा विद्यालय की प्रबंधन समिति में संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण तथा उनके व्यारा नामांकित एक प्रतिनिधि को सदस्य के रूप में नामांकित करना होगा तथा प्रबंधन समिति की बैटकों में शासकीय सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य होगा।

- (3) संस्था व्यारा प्रवेश संबंधी नियम प्रक्रिया तथा निर्धारित शुल्क यथा-समय प्रकाशित किये जायेंगे। शिक्षण शुल्क लेने में पालकों का शोषण नहीं किया जायेगा।
- (4) संस्था विभिन्न अक्सरों पर छात्रों के आयोजित होने वाले सांस्कृतिक एवं खेलकूद कार्यक्रम तथा अन्य छात्र-शिक्षकों की गतिविधियों के लिये खेल का मैदान, छात्रावास भवन की सुविधा आदि आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायेंगे। इस हेतु संस्था से वचन पत्र लिखा जाये।
- (5) संस्था व्दारा प्रदेश के खेल आयोजनों, सांस्कृतिक आयोजनों, विज्ञान मेलो आदि के आयोजन में सहयोग एवं सार्थक भूमिका प्रदान की जावेगी।
- (6) निःशक्त छात्रों के लिये संस्था को रेम्प की व्यवस्था करना आवश्यक होगा। संस्था निःशक्त छात्रों को प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगी। इस संबंध में प्राप्त शिकायत यदि सिद्ध पाई गई तो संस्था का अनापत्ति प्रमाण पत्र समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

निरन्तर...2

छात्र-छात्राओं, को शालाओं में लगने वाले पुस्तके एवं लेखन सामग्री (7)खुले बाजार से कय करने की सुविधा रहेगी। किसी दुकान विशेष से कय करने की बाध्यता नहीं रहेगी।

संस्था के छात्रों को उनके निवास से विद्यालय तक लाने एवं वापिस (8)भेजने के लिये परिवहन विभाग व्दारा दी गई अनुमति प्राप्त एवं वैद्य वाहनों का ही उपयोग किया जायेगा। छात्रों की सुरक्षा की दृष्टि से इस हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों को किसी भी ऐसे ज्वलनशील

'साधन जैसे घरेलू एल०पी०जी० आदि से संचालित नहीं किया जायेगा। शिक्षण संस्था में मान० उच्चतम न्यायालय व्दारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कियाशील अग्नि–शमन यंत्रों की आवश्यक रूप से व्यवस्था की जाएगी तथा इस संबंध में भारत सरकार व्दारा शैक्षणिक संस्थाओं के संबंध में समय-समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों का पालन भी करना होगा।

(9)

- छात्रों की सुरक्षा तथा परिवहन के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग व (10)परिवहन विभाग व्दारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करना होगा।
- संस्था के पुस्तकालय में जाति एवं धर्म के आधार पर भेद-भाव तथा (11)साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले किन्हीं पुस्तकों का संग्रहण नहीं किया जायेगा और भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन व्दारा प्रतिबंधित पुस्तकें भी नहीं रखी जा सकेगी।
- संख्या के संचालन में अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर विभाग (12)ब्तारा प्राधिकृत अधिकारी को संख्या का निरीक्षण/जांच करने का अधिकार होगा।
- विद्यालय प्रबंधन विद्यालय में प्रवेश के लिये बच्चों तथा माता-पिता (13)अथवा अभिभावकों को किसी प्रकार भी प्रकार की स्क्रीनिंग प्रक्रिया नही अपनाम्भा।
- संबंधित विद्यालय व्दारा तैयार शैक्षणिक/गैर-शैक्षणिक अमले की सेवा (14)शर्ते जो कि राज्य शासन के समरूप होनी चाहिए के पालन न होने की रियति में संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण आवश्यक कार्यवाही हेतु सक्षम होंगे।
- सम्यक निरीक्षण के पश्चात एक वार मान्यता प्रदान कर दिये जाने पर (15)सोसायदी/द्रस्ट मान्यता के समय दावाकृत किन्ही भी मापदण्डों को परिवर्तित नही करेगा। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी किसी भी समय रकूल परिसर का निरीक्षण कर सकते है, यदि निरीक्षण के समय यह पाया जाता है कि सोसायदी/द्रस्ट किन्ही मापदण्डों का पालन नहीं कर रहा है तो संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण को मान्यता नियम, 2017 के नियम-11 के उप नियम-(1) में विनिर्दिष्ट प्रकिया का......

CHM

निरन्तर.... 3

11311

अनुसरण करते हुए स्कूल की मान्यता निलंबित करने और पश्चातवर्ति इसे वापिस लेने की शक्ति होगी।

2/ उपर्युक्तानुसार शर्तो का पालन न करने पर जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(御知 シ

(के0के0द्धिवेदी)

उप सचिव

म०प्र०शासन, स्कूल शिक्षा विभाग पृ० कमांक-435/734/2020/20-3 भोपाल, दि००९ /7/2020 प्रतिलिपिः-

(1) आयुक्त, लोक शिक्षण/राज्य शिक्षा केन्द्र, म०प्र० भोपाल।

(2) सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म०प्र० भोपाल।

(3) संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग, म०प्र०

(4) जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-सिंगरौली, म०प्र०

(5) विशेष सहायक, मान० मंत्री, स्ंकूल शिक्षा विभाग, भोपाल।

 (6) प्राचार्य, अशासकीय संस्था-ई-कोल इंटरनेशनल स्कूल सिंगरौली, जिला-सिंगरौली, म0प्र0

(7) फोल्डर प्रति

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

Cit उप सचिव

म०प्र०शासन, स्कूल शिक्षा विभाग